sent to Andhra Pradesh Chief Minister's Relief Fund vide cheque No. 201865 dated 18.11.96.

(c) and (d): Yes, Sir. NSFDC had deputed its Zonal Officer, Hyderabad to visit areas affected by cyclone to take stock of the situation and the extent of demage suffered by SCs and STs covered under NSFDC's schemes and also to suggest measures for providing other assistance to the affected SC & ST families. On the basis of the recommendations of the State channelising agency, necessary remedial measures will be taken by the NSFDC.

(e) and (f) The Prime Minsiter of India made an appeal to the Nation to contribute to the Andhra Pradesh C.M's Cyclone Relief Fund. The Cabinet Secretary also made an appeal to the employees of Govt. of India to contribute atlest one day's salary towards the Relief Fund.

Quantitative Restrictions on Trade

1660. SHRI M.D. SALIM: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state the reasons for the Indian Government surrendering its discretionary rights when the member countries of WTO are allowed to continue with the quantitative restrictions as long as they wish?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): Article XI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1944 provides that no prohibitions or restrictions other than duties, taxes or charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures shall be maintained by any Member of the World Trade Organisation (WTO). However, exceptions to these provisions are available. In the interest of safeguarding our balance of payments, India has been maintaining quantitative restrictions on imports under the exceptional provisions of Article XII, since 1948, and under Article XVIII of the GATT, since 1950. At present, India is one among seven WTO Members that invokes these exceptional provisions.

For WTO member that invoke these provisions, it is provided that a member must progressively relax the restrictions as conditions improve and must eliminate them when the conditions no longer justify their maintenance. It is also provided that the member must announce publicly, as soon as possible, time schedules for the elimination of the restrictions, and that, if a public announcement is not pssible, justification as to the reasons therefor must be provided by the Member.

A Member taking recourse to Article XVIII is required to have periodic consultations with the WTO Committee on Balance of Payments Restrictions, which is open to all Members of the WTO. India's consultations with this Committee, which involve a detailed examination of the balance of payments measures and related policies of Members applying the measures, were held in December 1995, and are scheduled to be resumed in January 1997.

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

1661. **श्री राजनाथ सिंह:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1996-97 के लिए आवश्यक वस्तुओं की

आर्थिक मात्रा में आपूर्ति करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न अर्थात चावल तथा गेंहू का आवंटन, केन्द्रीय पूल में स्टॉक की समग्र उपलब्धता, विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्ध मात्रा, उठान के रूखों, मौसमजन्य कारको तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों को आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी के तेल तथा सॉफ्ट कोक का कुल आवंटन इस प्रकार रहा है:—

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने जून 96 में गेंहूं के आवंटन को जुलाई, 96 से फरवरी, 97 तक 98,800 मी०टन से संशोधित कर 80,000 मी० टन तथा मार्च, 97 से जून 97 तक 70,000 मी० टन प्रति महीना करने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार उन्होंने चावल के आवंटन को जनवरी, 1997 से सितम्बर 1997 तक 45,800 मी० टन के मौजूदा स्तर के स्थान पर 40,000 मी० टन प्रति महीना तथा अक्तूबर, 97 से दिसम्बर, 97 तक 30,000 मी० टन प्रति महीना करने का भी अनुरोध किया था। उनके अनुरोध को मान लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद में जून 1996 में भेजी गई अपनी मांग के अनुसार उन्हें प्रति महीना आवंटित की जा रही 80,000 मी० टन की तुलना में गेंहूं के कोटे को पुनः 98,800 मी० टन प्रति महीना बहाल करने का अनुरोध किया था। चूंकि सितम्बर, 1996 में गेंहू के 80,000 मी० टन आवंटन में से केवल 71,500 मी० टन मात्रा उठाई गई थी, अतः उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

(आंकड़े हजार मी० टनों में)

उत्तर प्रदेश

वस्तुएं	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96
चावल	535.60	549.60	549.60
गेंहू	972.60	1185.60	1185.60
चीनी	682.80	652.48	677.87
खाद्य तेल	1.20	—	—
सॉफ्ट कोक	240.00	240.00	240.00
मिट्टी का तेल	961.52	1014.68	1075.79
राजस्थान			
चावल	84.60	46.00	52.00
गेंह	1140.00	1443.69	1453.92
चीनी	218.21	208.96	217.14
खाद्य तेल	1.40	—	0.40
मिट्टी का तेल	285.70	305.62	327.34
ग्राफ्ट कोक	27.00	—	—
हरियाणा			
चावल	36.00	36.00	53.56
गेंहू	141.90	151.80	209.48
चीनी	82.36	78.66	81.55

वस्तुएं	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96
खाद्य तेल	0.40	0.50	0.20
मिट्टी का तेल	152.53	154.00	156.47
सॉफ्ट कोक	—	—	—

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम की समीक्षा किया जाना

1662. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए चलाये जा रहे स्वरोजगार कार्यक्रम की गत दो वर्षों के दौरान तथा अक्टूबर, 1996 तक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए कितने बेरोजगार युवकों से आवेदन प्राप्त हुए, कितने मामलों में ऋण स्वीकृत किए गए तथा कितने मामलों में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है और इस संबंध में रज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलि मारन): (क) जी, हां।

(ख) नवीनतम समीक्षा अगस्त, 1996 में की गयी थी। प्रगति की निगरानी की गयी थी और स्वीकृतियों और संवितरणों को तेज करने, बैंकों को समर्थक ऋणाधार न मागने के निर्देशों को दोहराने, लाभभोगियों के प्रशिक्षण को तेज करने आदि के लिए कदम उठाये गये।

(ग) राज्यवार, ऋण हेतु बेरोजगार युवकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या, जिला उद्योग केन्द्रों/उद्योग निदेशालय द्वारा बैंकों को सिफारिश किये गये आवेदनों की संख्या, वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा सितम्बर, 1996 तक वर्ष 1996-97 के लिए स्वीकृत और निपटान किये गये मामलों की संख्याएं अनुबंध की गयी हैं। [देखिए परिशिष्ट 179, अनुपत्र सं० 35]

Policy on fully owned untis by MNCs

1663. SHRI JANARDHANA POOJARY:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the 'Times of India' dated the 12th October, 1996 under the caption "Move for policy on fully owned units by MNCs is off"

(b) if so, the details of the decision taken; and

(c) the reasons for change of this policy?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) No fresh policy guidelines have been issued on fully-owned units by MNCs. Therefore, there is no question of this move having been put off. However, the foreign investment policy is constantly kept under review to make it more investor-friendly and dynamic with the objective of increasing Foreign Direct Investment into the country particularly, in the priority sectors including infrastructure. The Government announces its decision on the policy initiatives etc., through Press Notes/Releases as and when such decisions are taken.